अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कि, क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों, अन्य लागू नियमों, नियमावली, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है, का उल्लेख करती है। अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों तथा अनुदेशों की वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा विवेक की जांच करना भी शामिल होता है। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की ओर से उसके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। ये मानक वे मानदण्ड निर्धारित करते हैं जिनकी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा संचालन करने में पालन करने की अपेक्षा की जाती है और उनके पालन न होने तथा दुरूपयोग के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन तथा लेखापरीक्षित संस्थाओं के आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में विद्यमान कमी की सूचना देना अपेक्षित होता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से, कार्यकारी अधिकारी को शोधक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने तथा उन नीतियों और निर्देशों को बनाने की अपेक्षा की जाती है, जो संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबंधन का मार्गदर्शन करेंगे, इस प्रकार, ये बेहतर शासन के लिए योगदान दे सकें।

मार्च 2016 के अंतर्गत 102[1] सिविल अनुदानों को सम्मिलित करने वाले सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों के विगत दो वर्षों के दौरान सकल प्रावधान एवं व्यय नीचे तालिका-1 में दिये गये हैं।

---

[1] इसमें रक्षा सिविल अनुदान (2), दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनुदान (2), संघ शासित क्षेत्र (विधायिका रहित) अनुदान (5), वैज्ञानिक विभाग (10) तथा केन्द्रीय प्राप्तियां (3) शामिल है।

तालिका-1: सकल प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

	2014-15			2015-16		
	सकल प्रावधान	**सकल व्यय**	**बचतें**	**सकल प्रावधान**	**सकल व्यय**	**बचतें**
राजस्व (प्रभारित)	5,19,519	4,91,298	28,221	5,70,014	5,46,699	23,315
राजस्व (दत्तमत)	10,81,137	9,64,415	1,16,722	10,55,700	9,92,772	62,928
पूंजीगत (प्रभारित)	40,77,324	37,19,863	3,57,461	42,46,002	37,50,287	4,95,714
पूंजीगत (दत्तमत)	1,47,595	1,14,108	33,487	2,56,908	2,39,715	17,194
कुल	**58,25,575**	**52,89,684**	**5,35,891***	**61,28,624**	**55,29,473**	**5,99,151***

* 2014-15, में, ₹ 5,51,532 करोड़ सकल बचतों एवं ₹ 15,641 करोड़ के आधिक्य में से ₹ 5,35,891 करोड़ की निवल बचत देय थी। 2015-16 में, ₹ 5,99,151 करोड़ निवल बचतें, ₹ 5,99,361 करोड़ सकल बचत एवं ₹ 210 करोड़ के आधिक्य में देय था।

इस प्रतिवेदन में, 2015-16 तक लेनदेनों की लेखापरीक्षा के फलस्वरूप उद्भूत सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत सिविल मंत्रालयों/विभागों एवं 80 सिविल अनुदानों को आवृत्त करने वाले उनके स्वायत्त निकायों (रक्षा, वैज्ञानिक व पर्यावरण, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी डाक, संघ शासित क्षेत्र (विधायिका रहित), राजस्व एवं रेलवे विभाग को छोड़कर) से संबंधित अभ्युक्तियां शामिल की गयी हैं। इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान किये गये सकल व्यय निम्न तालिका-2 में दर्शाये गये हैं:

तालिका-2: सकल व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	2013-14	2014-15	2015-16
1.	कृषि	26056.69	26572.32	22778.34
2.	आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योंपैथी	731.55	685.19	1112.14
3.	रसायन एवं ऊर्वरक	72625.25	75411.37	77966.79

4.	नागरिक उड्डयन	6954.59	6626.28	4168.10
5.	कोयला	1329.45	1572.50	1669.72
6.	वाणिज्य एवं उद्योग	6606.51	7438.02	7400.47
7.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	104038.31	129663.57	162384.89
8.	कार्पोरेट मामले	229.22	226.23	404.48
9.	संस्कृति	1991.73	2069.19	2011.83
10.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का विकास	1878.63	1761.01	2036.68
11.	पेय जल एवं स्वच्छता	11941.03	12201.46	13481.18
12.	विदेश मामले	11807.35	12148.82	14472.95
13.	वित्त	4125322.51	4340806.54	4487273.80
14.	खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग	541.93	596.74	504.44
15.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	31162.47	33046.65	35390.48
16.	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम	1392.57	1621.43	944.46
17.	गृह मामले	55724.67	61573.53	70006.68
18.	आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	1086.24	2735.40	1766.16
19.	मानव संसाधन विकास	91509.98	91249.07	86657.36
20.	प्रौद्योगिकी एवं प्रसारण	2828.22	3158.53	14681.30
21.	श्रम एवं रोजगार	4415.68	4320.66	4832.02
22.	विधि एवं न्याय	1993.35	1932.84	3127.96
23.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2626.12	2767.82	2834.41
24.	खनन	1037.41	868.16	993.80
25.	अल्पसंख्यक मामले	3026.74	3090.51	3654.85
26.	विदेशी भारतीय मामले	84.80	64.09	68.34
27.	पंचायती राज	3462.08	3390.56	208.67
28.	संसदीय मामले	11.36	13.79	15.09
29.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	947.83	1041.80	1127.29
30.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	85418.39	60310.18	31286.74
31.	योजना	1733.38	1808.33	1781.03
32.	विद्युत	5513.69	13817.43	9216.23

33.	राष्ट्रपति, लोक सभा, राज्य सभा, संघ लोक सेवा आयोग, उपराष्ट्रपति का सचिवालय एवं निर्वाचन आयोग	1069.21	1057.98	1189.81
34.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	46011.63	54493.73	84986.39
35.	ग्रामीण विकास	99983.54	111136.62	121366.19
36.	पोत परिवहन	1870.20	1340.21	1689.47
37.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	--	--	1007.47
38.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	5519.90	5802.88	6309.64
39.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	4843.37	4068.78	4178.40
40.	इस्पात	78.02	71.31	31.90
41.	वस्त्र	3954.98	3987.87	4145.98
42.	पर्यटन	1029.20	987.03	903.94
43.	जनजातीय मामले	3839.35	3852.68	4495.18
44.	शहरी विकास	9533.55	13409.64	18752.54
45.	महिला एवं बाल विकास	18038.59	18541.14	17260.28
46.	युवा मामले एवं खेल	1143.78	1144.14	1460.90
कुल		**4862945.08**	**5124484.00**	**5334036.79**

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा करना तथा संसद को सूचित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमश: 149 तथा 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 से प्राप्त हुआ है। सीएजी, सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम[2] की धारा 13[3] तथा 17[4] के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा सीएजीद्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए निकायों

[2] नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियॉ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971।

[3] (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे, से संबंधित लेनदेनों, (iii) सभी व्यापक, विनिर्माण, लाभ एवं हानि

[4] संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गये भण्डार तथा स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा रिपोर्ट

की लेखापरीक्षा सांविधिक रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियॉ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 (अधिनियम) की धारा 19(2) के अंतर्गत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों अथवा संस्थाओं) की लेखापरीक्षा जनहित में उसी अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत सीएजी को सौंपी गई है। इसके अलावा, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी) जो मूलत: भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा वित्तपोषित हैं, की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा अधिनियम की धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

1.3 उपयोग प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, वैधानिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों में उपयोग प्रमाण-पत्रों को संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति से 12 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। 33 मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2016 तक देय मार्च 2015 तक जारी अनुदानों में ₹31,153.13 करोड़ की धनराशि के बकाया कुल 42314 उपयोग प्रमाण-पत्रों की स्थिति दर्शाते हुए मंत्रालय/विभाग वार (वित्त वर्ष के 12 माह बाद जिसके लिए अनुदान प्रदान किये गये थे) ब्यौरे **परिशिष्ट-I** में दिये गये हैं।

10 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मार्च 2016 तक बड़ी राशि के बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गयी है:

31 मार्च 2016 तक बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2015 को समाप्त अवधि हेतु	
		संख्या	राशि
1.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय[5]	832	1942.98
2.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1671	8855.02
3.	उच्च शिक्षा विभाग	2444	1318.25
4.	शहरी विकास मंत्रालय	304	3113.66

[5] केवल कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग के आंकड़े शामिल है।

5.	जनजातीय मामले मंत्रालय	368	1301.83
6.	आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	543	3091.59
7.	भारी उद्योग विभाग	15	1301.92
8.	इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	439	1133.52
9.	विधि एवं न्याय मंत्रालय	7	3125.00
10.	वस्त्र मंत्रालय	4829	1862.53
	कुल	**11452**	**27046.30**

1.4 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले प्रलेखों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी, कि लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को अपने लेखे, तीन माह की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेने चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

वर्ष 2014-15 के लिए, 364 सीएबी के लेखाओं की लेखापरीक्षा, सीएजीद्वारा की जानी थी। इनमें से 152 सीएबी के लेखे, देय तिथि के बाद दिये गये थे, जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

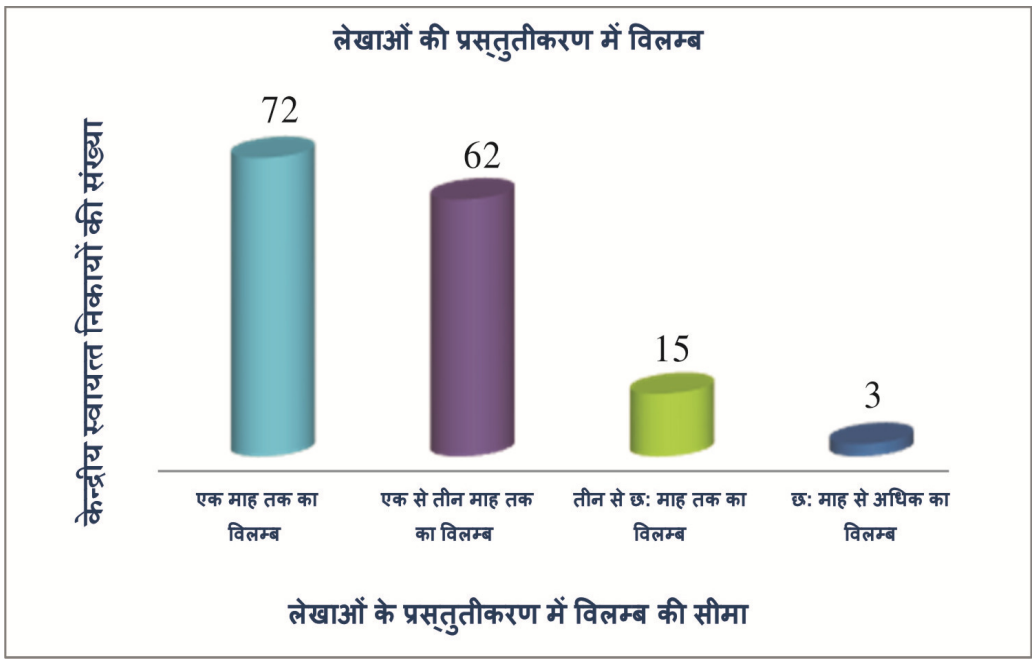

सीएबी जिनके लेखे दिसम्बर 2015 को तीन माह से अधिक विलम्बित थे के विवरण **परिशिष्ट-II** में दिये गये हैं।

1.5 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर प्रस्तुत प्रलेखों पर समिति ने, अपने प्रथम प्रतिवेदन (1975-76) में, सिफारिश की थी कि स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष लेखांकन-वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर अर्थात आगामी वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किये जाएं।

31 अक्तूबर 2016 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति की स्थिति निम्न प्रकार है:

लेखे का वर्ष	निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गये थे, लेकिन संसद के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किये गये	देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की कुल संख्या
2012-13	11	**शून्य**
2013-14	09	03
2014-15	13	40

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

सीएबी के विवरण, जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये, **परिशिष्ट-III** तथा **परिशिष्ट-IV** में दिए गए हैं।

1.6 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित प्रत्येक स्वायत्त निकाय द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रमाणित लेखे के साथ संलग्न करके संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16 हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ **परिशिष्ट-V** में दी गई हैं।

वर्ष 2015-16 हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों/मंत्रालयों के लेखाओं में पाई गई महत्वपूर्ण कमियॉ निम्नानुसार हैं:

(क) 104 स्वायत्त निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी **(परिशिष्ट-VI)**।

(ख) 91 स्वायत्त निकायों की स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-VII)**।

(ग) 73 स्वायत्त निकायों की वस्तु-सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-VIII)**।

(घ) 41 स्वायत्त निकाय प्राप्ति/रोकड़ आधार पर अनुदानों की गणना कर रहे थे, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के साथ संगतपूर्ण नहीं थी **(परिशिष्ट-IX)**।

(ङ) 139 स्वायत्त निकायों ने ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों की गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं की है **(परिशिष्ट-X)**।

(च) **छः** स्वायत्त निकायों द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य-ह्रास नहीं दिया गया था **(परिशिष्ट-XI)**।

(छ) 28 स्वायत्त निकायों ने लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर अपने लेखाओं को संशोधित किया **(परिशिष्ट-XII)**। लेखापरीक्षा के परिणाम का प्रभाव था परिसंपत्तियों/ देयताओं में ₹ 38.85 करोड़ की निवल वृद्धि और अधिशेष में ₹ 4.32 करोड़ की निवल वृद्धि।

1.7 लंबित एटीएन की स्थिति

संसद को दिनांक 17 अगस्त 1995 को प्रस्तुत अपनी 105वीं रिपोर्ट (10वीं लोकसभा - 1995-96) में लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि सीएजी के प्रतिवेदनों के सभी पैराओं पर कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) 31 मार्च 1996 के बाद से आरंभ होने वाले सदन के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की तिथि से 4 माह की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। तदन्तर, व्यय विभाग के अधीन एक मॉनीटरिंग सैल का सृजन किया गया है जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त विविध लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् रूप से जांच किए गए उपचारी/शोधक एटीएन के संग्रहण तथा समन्वयन और उनको संसद को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार माह की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया है।

2015 मार्च को समाप्त अवधि तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) में शामिल पैराओं पर एटीएन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा से दिसंबर 2016 तक निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई

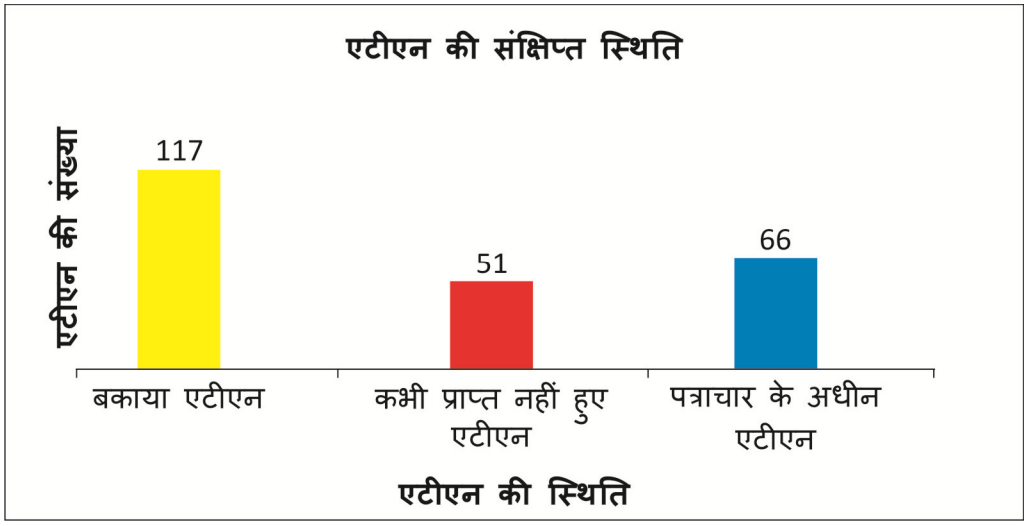

117 पैराग्राफ में से, जिन पर एटीएन भेजने की आवश्यकता थी, 51 पैरों से संबंधित एटीएन प्राप्त ही नहीं हुए थे, जबकि शेष 66 जिन पर पत्राचार हो रहा था वे विभिन्न चरणों में बकाया थे। वर्ष-वार ब्यौरे **परिशिष्ट XIII** में दर्शाये गये हैं।

1.8 ड्राफ्ट पैराग्राफ के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के अपने उत्तर पैराग्राफों की प्राप्ति के छः सप्ताहों के भीतर प्रेषित करने के निर्देश जारी किए। तदनुसार, ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है तथा निवेदन किया जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर दें।

निम्नलिखित मामलों में मंत्रालयों/विभागों ने कार्रवाई की है तथा वसूलियों के लिए आदेश दिया जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	लेखापरीक्षा द्वारा संकेतित अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि	वसूली गयी राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई
1.	सीजीएचएस मुख्यालय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सी जी एच एस लाभ प्राप्त करने वाले स्वायत्त निकायों से सेवा शुल्क के संग्रहण में विफलता	2.43	13.96	लेखापरीक्षा ने एबी द्वारा लाभ उठाने के साथ सेवा शुल्क को जोड़ने में सीजीएचएस की विफलता की ओर इंगित किया पाँच नमूना परीक्षित मामलों में लेखा परीक्षा द्वारा मामले को उठाने के बाद, सीजीएचएस ने स्थिति का सुमेलन किया और 2012-16 की अवधि में 41 एबी से ₹ 13.96 करोड़ की बकाया राशि की वसूली की।
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	कृषि एवं किसान कल्याण	कॉर्पस पर अर्जित ब्याज राशि की कम वसूली	7.49	8.92	आइसीएआर जीवनयापन हेतु कृषि में जल उत्पादन बढाने के लिए जारी कॉर्पस पर अर्जित ब्याज की वसूली करने में असफल रहा था। यद्यपि इसने कॉर्पस की वसूली की थी लेकिन ब्याज के परिकलन हेतु समूची अवधि की पहचान करने में असफल रहा

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	लेखापरीक्षा द्वारा संकेतित अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि	वसूली गयी राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई
						था। मुद्दे को इंगित किये जाने के बाद इसने कुल अवधि को फिर से गणना करके कॉर्पस पर अर्जित किये गये ₹ 8.92 करोड़ की वापसी की थी।
3.	विशाखापट्टनम पतन न्यास	पोत परिवहन	क्षतियों की लागत अग्रिम बर्थ आरक्षण शुल्क, जलयान संबंधी शुल्कों का कम संग्रहण एवं दाण्डिक प्रभारों का उदग्रहण एवं संग्रहण नहीं होना।	4.94	4.94	लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर ₹ 4.94 करोड़ की कुल धनराशि निम्नलिखित रूप में वसूल की गयी थीः क्षतियों के लागत का कम संग्रहण (₹ 1.74 करोड़) अग्रिम बर्थ आरक्षण शुल्क (₹ 0.70 करोड़), जलयान संबंधी शुल्क (₹ 1.34 करोड़) दाण्डिक प्रभारों का उद्रग्रहण एवं संग्रहण नहीं होना (₹ 1.16 करोड़)।
4.	शहरी विकास (राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम)	शहरी विकास	दो परियोजनाओं के निर्माण हेतु एनबीसीसी को जारी निधियां एनबीसीसी द्वारा लौटायी नहीं गयी थीं।	7.87 (₹ 3.13 करोड़ के ब्याज सहित)	4.91	एमओयूडी ने एनबीसीसी को दो निर्माण परियोजनाएं असम एवं मेघालय) क्रमशः 2003 एवं 2008 में आबंटित की थी। पहले मामले

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	लेखापरीक्षा द्वारा संकेतित अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि	वसूली गयी राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई
						में निर्माण कार्य को असम सरकार को हस्तांतरित किया गया था परंतु एनबीसीसी ने इसे जारी ₹ 1.88 करोड़ की धनराशि को नहीं लौटाया था। दूसरे मामले में ₹ 2.86 करोड़ की शेष राशि को निर्माण कार्य की समाप्ति के बाद एनबीसीसी को वापस लौटा दिया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दे को उठाने पर, एनबीसीसी ने ₹ 17 लाख के ब्याज सहित ₹ 4.91 करोड़ लौटाया था।
5.	केन्द्रीय लोक निर्माण प्रभाग, बडोदरा	शहरी विकास	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर का प्रेषण न होना	1.82	1.20	अप्रैल 2011 एवं मार्च 2016 के मध्य सीपीडब्ल्यूडी) वडोदरा ने ₹ 1.20 करोड़ भवन एवं अन्य निर्माण का श्रमिक कल्याण उपकर संग्रहित किया लेकिन उसे कल्याण.बोर्ड को प्रेषित नहीं किया था। इस राशि को

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	लेखापरीक्षा द्वारा संकेतित अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि	वसूली गयी राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई
						लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर प्रेषित किया गया। तथापि ₹ 62 लाख के दाण्डिक ब्याज का प्रेषण नियमों के निर्धारणानुसार नहीं किया गया था।
कुल					**33.93**	

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके एबी से संबंधित 62 पैराग्राफ शामिल हैं, जिसमें ₹ 676.72 करोड़ का धन मूल्य शामिल है। 59 लेखापरीक्षा पैराओं के उत्तर प्राप्त हुए थे तथा उन्हें उचित प्रकार से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।